


ग्रंथालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा श्रीमान सदस्य
महोदय सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र०)

(301)



देवदत्त द्विवेदी आत्मज श्री रामसजीवन द्विवेदी, निवासी—ग्राम खैरी, तहसील
हुजूर, जिला रीवा (म0प्र०)आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

रमेश 2. शेषमणि 3. रामनरेश, 4. नरेश चारो के पिता चन्द्रहास
द्विवेदी, 5. सुरेश 6. देवेन्द्र तीनों के पिता जनार्दन 8.
महेन्द्र कुमार तनय बैजनाथ प्रसाद द्विवेदी 9. दिनेश तनय बीरेन्द्र
प्रसाद द्विवेदी, सभी निवासी—ग्राम पड़ा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
(म0प्र०)अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान
अनुविभागीय अधिकारी महोदय बावत प्रकरण
क्रो 102/अपील/17-18 अन्तरिम आदेश
दिनांक 19.06.2018
अन्तर्गत धारा 50 म0प्र०भ०रा०सं० 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी को दिनांक 28.03.18 को आदेश 1
नियम 10 सी०पी०सी० के अनुसार पक्षकार बनाया गया और लाल
स्थाही से जोड़ने के आदेश भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिया लेकिन
आदेश का पालन कई पेशियों में नहीं हुआ और न ही अपील की
प्रति न ही धारा 5 के आवेदन पत्र की प्रति प्रदान की गई।
2. यह कि बाद में प्रार्थी के विरोध करने पर वमुशिकल पक्षकार बनाया
गया परन्तु अपील की प्रति एवं धारा 5 आदि की प्रति नहीं दी गई,

(30)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0/4401/2018/भू-रा०

जिला-रीवा

देवदत्त द्विवेदी / रमेश वगैरः

(1)	(2)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री देवदत्त द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 102/अप्रैल/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 19.06.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण. कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 13.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p>

3/11/2018